



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 29, 1993/अश्विन 7, 1915

No. 37]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 29, 1993/ASVINA 7, 1915

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1993

योजना

प्रावधान

एम. सो. आई. 34(41)/93-मैड (एन).—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 के साथ पठित धारा 10क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन में नए आयुर्विज्ञान कालेज स्थापित करने, अध्ययन के उच्चतर पाठ्यक्रम आरम्भ करने और आयुर्विज्ञान कालेजों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने के संबंध में निम्नलिखित विनियम बनाने हैं, अर्थात् :—

1. (1) मक्षिप्त नाम तथा आरम्भ : ये विनियम, नए आयुर्विज्ञान कालेजों की स्थापना, अध्ययन के उच्चतर पाठ्यक्रमों का आरम्भ और आयुर्विज्ञान कालेजों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि विनियम, 1993 कहें जाएंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2 आयुर्विज्ञान कालेजों में संबंधित योजना : भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 का धारा 10-क का उप-धारा (2) के खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित योजना इसके साथ संलग्न हैं।

डा. (मिसेज) एम. मधुदेवा, सचिव

नया आयुर्विज्ञान कालेज स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति हेतु

आवेदक के लिए अनुदेश

पात्रता मानदण्ड : नया आयुर्विज्ञान कालेज स्थापित करने की अनुमति के लिए आवेदन करते हेतु निम्नलिखित संगठन पात्र होंगे :—

1. विश्वविद्यालय और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र
2. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थायक निकाय
3. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 अथवा राज्यों के मरनुल्फी अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत सोसाइटियाँ
4. भारतीय न्याय अधिनियम 1882, बक्स अधिनियम आदि के अधीन पंजीकृत मार्चजानिक न्याय धार्मिक अथवा धर्मार्थ

अर्हक मानदण्ड : पात्र संगठन द्वारा समय-समय पर प्राणोद्भित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए विनियमों का पालन किया जाता चाहिए तथा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर ही नया आयुर्विज्ञान कालेज स्थापित करने की अनुमति के लिए प्रावधान देने का योग्य होगा :—

1. वि. आयुर्विज्ञान शिक्षा आवेदक का एक मुख्य उद्देश्य है

2. कि प्रस्तावित आयुविज्ञान कालेज स्थापित करने के लिए भारतीय आयुविज्ञान परिषद् द्वारा यथा निर्धारित उपयुक्त भूखण्ड आवेदक के स्वामित्व एवं कब्जे में है।

3. कि आवेदक द्वारा संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ शासित प्रशासन से प्रस्तावित स्थान पर प्रस्तावित आयुविज्ञान कालेज तथा भारतीय आयुविज्ञान परिषद् की अपेक्षाओं के अनुसार पर्याप्त नैदानिक सामग्री उपलब्ध होने की वांछनीयता तथा सहायता के संबंध में अनिवार्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है।

4. कि आवेदक ने प्रस्तावित आयुविज्ञान कालेज के लिए किसी मास्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बद्धता की सहमति प्राप्त कर ली है।

5. कि आवेदक प्रस्तावित आयुविज्ञान कालेज के आस-पास भारतीय आयुविज्ञान परिषद् द्वारा यथा निर्धारित आवश्यक आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं सहित 300 बिस्तरों से अधिक के एक अस्पताल का स्वामित्व एवं प्रबंधन करता है और शिक्षण संस्थान के रूप में विकसित करने की क्षमता रखता हो।

6. कि आवेदक के पास, विद्यार्थियों की प्रस्तावित संख्या के अनुरूप, भारतीय आयुविज्ञान परिषद् द्वारा यथा निर्धारित अपेक्षित आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं सहित जिसमें छात्रों और छात्राओं के लिए पर्याप्त होस्टल सुविधा भी शामिल है, प्रस्तावित आयुविज्ञान कालेज स्थापित करने का साध्य एवं कालबाधित कार्यक्रम है ताकि अनुमति प्रदान करने की तारीख से चार वर्ष की अवधि में आयुविज्ञान कालेज पूरा हो जाए।

7. कि एस. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए आधारभूत संरचनात्मक तथा अन्य सुविधाओं के संबंध में भारतीय आयुविज्ञान परिषद् के संतुष्ट हो जाने के उपरान्त और केन्द्रीय सरकार से लिखित अनुमति प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही आयुविज्ञान कालेज में प्रवेश दिया जाएगा।

8. कि आवेदक के पास प्रस्तावित आयुविज्ञान कालेज स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान करने की तारीख से चार वर्ष की अवधि के दौरान मौजूदा अस्पताल के अपग्रेडेशन द्वारा अथवा नए अस्पताल की स्थापना द्वारा अथवा दोनों द्वारा सामूहिक रूप से निम्नलिखित बिस्तर संख्या उपलब्ध कराने के लिए भारतीय आयुविज्ञान परिषद् द्वारा यथा निर्धारित अनिवार्य बिस्तर और आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएं; उपलब्ध कराने का साध्य तथा कालबाधित बिस्तर कार्यक्रम है :

पूर्व स्नातक विद्यार्थियों की संख्या	बिस्तर संख्या में न्यूनतम वार्षिक वृद्धि	4 वर्ष के अन्त में कुल बिस्तरों की संख्या
50	50	500.
100	100	700

9. कि आवेदक के पास अध्यापन अस्पताल सहित प्रस्तावित आयुविज्ञान कालेज तथा उसकी आनुषंगिक सुविधाएं स्थापित करने तथा अनु-रक्षण करने की आवश्यक प्रबंधकीय तथा वित्तीय क्षमताएं हैं तथा

10. कि आवेदक ने अनुसूची के अनुसार 2 निम्नान्वित बैंक गारन्टियां, 1 आयुविज्ञान कालेज और उसकी संरचनात्मक सुविधाएं स्थापित करने के लिए 100 लाख रुपये (50 वार्षिक प्रवेशों के लिए), 150 लाख रुपये (100 प्रवेशों के लिए) और 200 लाख रुपये (150 वार्षिक प्रवेशों के लिए) और दूसरी शिक्षण अस्पताल और उसके संरचनात्मक सुविधाएं स्थापित करने के लिए 350 लाख रुपये (500 बिस्तरों के लिए), 550 लाख रुपये (700 बिस्तरों के लिए) और 750 लाख रुपये (1000 बिस्तरों के लिए) भारतीय आयुविज्ञान परिषद् के पक्ष में उपलब्ध कराई है।

अपवाद:- उपर्युक्त गतें आवेदक के रूप में राज्य सरकार होने की स्थिति में लागू नहीं होंगी बशर्ते कि वे उनके द्वारा उल्लिखित सम्यक् कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण रूप से सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने तक नियमित रूप से उनके प्लान बजट में निधियां उपलब्ध कराए जाने का वचन दें।

फार्म तथा प्रक्रिया तथा आयुविज्ञान कालेज स्थापित करने के लिए उपर्युक्त पात्रता तथा अर्हकता मानदण्डों को पूरा करने की शर्त के अधीन आवेदक द्वारा आवेदन निम्नलिखित तीन भागों में प्रस्तुत किया जाएगा:-

भाग -1: आवेदन के भाग एक (परिशिष्ट-1) में आवेदक के संबंध में निम्नलिखित विवरण तथा प्रस्तावित स्थान पर नया आयुविज्ञान कालेज स्थापित करने के लिए वांछनीयता तथा प्रथम दृष्टया साधयता के संबंध में सूचना शामिल है :

1. पात्रता मानदण्ड की शर्तों के संदर्भ में आवेदक संयुक्त के संघटन संबंधी सूचना
2. आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं तथा आवेदक की प्रबंधकीय एवं वित्तीय क्षमताओं से संबंधित सूचना तथा
3. अर्हकता मानदण्ड में यथा निर्धारित आवश्यकता प्रमाण-पत्र तथा सहमतियों की उपलब्धता संबंधी सूचना।

भाग-2: आवेदक के भाग-2 में नया आयुविज्ञान कालेज स्थापित करने की योजना के विस्तृत विवरण शामिल होंगे तथा प्रस्तावित आयुविज्ञान कालेज के संबंध में निम्नलिखित सहित विस्तृत तथ्यों को एवं आर्थिक सहायता रिपोर्ट के प्राप्ति में प्रस्तुत की जाएगी।

1. आयुविज्ञान कालेज का नाम तथा पता :
2. बाजार सर्वेक्षण तथा पर्यावरणीय विश्लेषण : जिसमें राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय आयुविज्ञान शिक्षा नीति, प्रशिक्षित आयुविज्ञान मानव शक्ति की आवश्यकता तथा उपलब्धता, अंतराज्य विश्लेषण प्रस्तावित स्थान पर नया आयुविज्ञान कालेज स्थापित करने की वांछनीयता तथा प्रथम दृष्टया साधयता शामिल होंगी।
3. स्थान विणिष्टता तथा स्वतंत्रता, भूखण्ड आकार, अनुमेय तल, स्थान सूचक, भू-आच्छादन, भवन ऊंचाई, गड्ढा पट्टा, सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता, विद्युत आपूर्ति, जन आपूर्ति, वाहनन कनेक्शन, टेलीफोन लाइन आदि सहित बाहरी सम्पर्कों की उपलब्धता।

4. शैक्षणिक कार्यक्रम : विद्यार्थियों को वार्षिक भर्ती, प्रवेश मानदण्ड, सीटों का आरक्षण/प्राथमिकता आवंटन (यदि कोई हो), अध्ययन का विभागा-वार तथा वर्षवार पाठ्यक्रम सहित।

5. कार्यात्मक कार्यक्रम : विभागावार तथा सेवावार कार्यात्मक अपेक्षाएं तथा क्षेत्र संविनयन और कक्षावार सीटों की क्षमता।

6. उपस्कर कार्यक्रम : मात्रा तथा विशिष्टियों सहित आयुविज्ञान, वैज्ञानिक तथा सम्बद्ध उपस्करों की कक्षावार सूची सहित।

7. मानव शक्ति कार्यक्रम : अध्यापन स्टाफ (पूर्णकालिक/तकनीकी, प्रशासनिक तथा आनुषंगिक स्टाफ की विभागावार आवश्यकताएं, वर्षवार भर्ती मानदण्ड तथा वेतन ढांचा आदि (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानों के अनुसार न्यूनतम)।

8. भवन निर्माण कार्यक्रम : आयुविज्ञान कालेज का निर्मित क्षेत्र, संकाय तथा स्टाफ के मकान, स्टाफ तथा विद्यार्थी छात्रावास, प्रशासनिक कार्यालय, पुस्तकालय, आडिटोरियम, पण्डित, मुर्दाघर तथा सांस्कृतिक एवं मनोरंजन केन्द्र, खेलकूद कम्प्लेक्स आदि जैसी अन्य आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएं।

9. योजना एवं अभिविन्यास : आयुविज्ञान कालेज कम्प्लेक्स के मास्टर प्लान, अभिविन्यास प्लान, अनुभाग, उच्चतम तथा आयुविज्ञान कालेज तथा आनुषंगिक भवन आदि की तल-चार क्षेत्र गणना।

10. चरणबद्धता तथा अनुसूची बद्धता : भवन अभिकल्पना का आरम्भ एवं समापन सूचित करने हुए गतिविधियों की माहवार अनुसूची स्थायी निकाय अनुमोदन, मिश्रित निर्माण, इंजीनियरी सेवाओं तथा उपस्करों की व्यवस्था, स्टाफ की भर्ती तथा विद्यार्थियों को प्रस्तावित प्रवेश संख्या के अनुरूप चरणबद्ध आरम्भ :

11. परियोजना लागत : भूमि, भवनों, प्लाट एवं मशीनरी, आयु-वैज्ञानिक, वैज्ञानिक एवं सम्बद्ध उपस्कर फर्नीचर तथा जुड़नार की पूर्णतः लागत तथा प्राथमिक एवं पूर्वप्रचालन व्यय सहित ।

12. परियोजना लागत के बिना पोषण के साधन : आवेदक के अंशदान, अनुदान एवं दान, साम्प्रदायिक एवं सावधि ऋण तथा अन्य स्रोत यदि कोई हो ।

13. राजस्व पूर्वानुमान : शुल्क ढाँचे सहित तथा विभिन्न स्त्रोतों से अनुमानित वार्षिक राजस्व ।

14. धन्य पूर्वानुमान : परिवर्तन व्यय, वित्तीय व्यय एवं मूल्यहास सहित, तथा

15. परिवर्तन परिणाम : आय विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा प्रक्षिप्त मुलन पत्र सहित ।

भाग-3 : आवेदन के भाग-3 में मीजूदा अस्पताल का विस्तृत व्योरा तथा प्रस्तावित आयुविज्ञान कालेज के चरणबद्ध विकास के अनुरूप मीजूदा अस्पताल को अपग्रेड करने तथा प्रतिरिक्त अस्पताल स्थापित करने अथवा दोनों की प्रस्तावित विस्तार योजना शामिल है । आवेदक के इस भाग को भी विस्तार कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत तकनीकी आर्थिक सह्यता रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा तथा इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :-

1. मीजूदा अस्पताल का नाम एवं पता :-
2. मीजूदा अस्पताल तथा आनुषंगिक, भवनों के संबंध में व्योरे :-
विस्तार संख्या, निमित्त क्षेत्र, नैदानिक एवं परा नैदानिक विद्याएं, विस्तार संवितरण तथा आस्त्युक्तात्मक तथा अभिविन्यास योजना, आयुविज्ञान तथा संबद्ध उपस्करों की सूची, क्षमता तथा इंजीनियरी सेवाओं, अस्पताल सेवाओं, प्रशासनिक सेवाओं तथा अन्य आनुषंगिक तथा सहायक सेवाओं का संरूपण, अंगभार स्टाफ की संख्या आदि ।
3. मीजूदा अस्पताल के विस्तार अथवा नए अस्पताल की स्थापना के लिए प्रतिरिक्त भूमि से संबंधित व्योरा : भूमि के व्योरे, प्रस्तावित आयुविज्ञान कालेज से दूरी, भू-खण्ड का आकार, भूमि का अधिकृत उपयोग : अवस्थिति मिट्टी की वण, सड़क पट्टा, सार्वजनिक परिवहन, विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति, वाहित मल सम्पर्क, टेलीफोन लाइनों आदि की उपलब्धता ।
4. अपग्रेडेड आयुविज्ञान कार्यक्रम : विस्तार योजना के अन्तर्गत विस्तारित प्रतिरिक्त नैदानिक तथा परा नैदानिक विद्याओं सहित ।
5. अपग्रेडेड कार्यात्मक कार्यक्रम : विशिष्टतावार तथा सेवावार कार्यात्मक अपेक्षाएं तथा क्षेत्र संवितरण तथा विशिष्टतावार विस्तार संवितरण सहित ।
6. भवन निर्माण कार्यक्रम : अस्पताल के प्रतिरिक्त निमित्त क्षेत्र, स्टाफ के मकान, स्टाफ तथा विद्यार्थी छात्रावासों तथा अन्य आनुषंगिक भवनों के संबंध में व्योरे सहित ।
7. योजना तथा अभिविन्यास : अस्पताल कम्प्लेक्स के अपग्रेडेड मास्टर प्लान अथवा प्रस्तावित नए अस्पताल के मास्टर प्लान जैसा भी मामला हो, अभिविन्यास योजना, अनुभाग उन्नयन तथा अस्पताल और आनुषंगिक भवनों की तलवार क्षेत्र गणना सहित ।
8. क्षमता में अपग्रेडेशन अथवा परिवर्धन के संबंध में व्योरे तथा इंजीनियरी सेवाओं तथा अस्पताल सेवाओं में संरूपता ।

9. उपस्कर कार्यक्रम : आयुविज्ञान तथा सम्बद्ध उपस्करों की अपग्रेडेड कक्षावार सूची, मात्राओं की अनुसूची तथा विशिष्टताओं सहित ।

10. अपग्रेडेड मानव शक्ति कार्यक्रम : आयुविज्ञान, परा आयुविज्ञान तथा अन्य स्टाफ का वर्गवार संवितरण सहित ।

11. विस्तार योजना की चरणबद्धता तथा अनुसूचीबद्धता : भवन अभिकल्पना का आरम्भ तथा समापन सूचित करने हुए गतिविधियों की माहवार मास्टर अनुसूची, स्थानीय निकाय अनुमोदन, मिश्रित निर्माण, इंजीनियरी एवं अस्पताल सेवाओं की व्यवस्था, आयुविज्ञान एवं सम्बद्ध उपस्करों की व्यवस्था प्रस्तावित आयुविज्ञान कालेज के विकास के अनुरूप स्टाफ आदि की भर्ती ।

12. विस्तार योजना की परियोजना लागत : भूमि, भवनों : इंजीनियरी एवं अस्पताल सेवाओं, आयुविज्ञान एवं सम्बद्ध उपस्करों, फर्नीचर एवं जुड़नार की प्रतिरिक्त लागत तथा प्राथमिक एवं पूर्ण परिवर्तन व्यय :

13. विस्तार योजना की लागत के बिना पोषण के साधन : आवेदक के अंशदान, अनुदान तथा दान, साम्प्रदायिक एवं सावधि ऋण तथा अन्य स्रोत, यदि कोई हो,

14. राजस्व पूर्वानुमान : विभिन्न प्रक्रियाओं एवं सेवाओं से आय, अपग्रेडेड सेवाभार तथा वार्षिक राजस्व के व्योरे सहित ।

15. व्यय पूर्वानुमान : व्यय, वित्तीय व्यय तथा मूल्यहास सहित तथा परिवर्तन ।

16. परिवर्तन परिणाम : आय विवरण, रोकड़-प्रवाह विवरण तथा मुलन पत्र सहित ।

आवेदन शुल्क : आवेदन पंजीकृत डाक द्वारा :- सचिव (स्वास्थ्य) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, मौलाना आजाद रोड, निर्माण भवन, नई दिल्ली 110011 को प्रस्तुत किया जाये । आवेदन के साथ "भारतीय आयुविज्ञान परिषद्" के पक्ष में दिल्ली में वेय डिमाण्ड ड्राफ्ट/अवसयी आवेदन के रूप में 2 लाख रुपये का नैर वापसी आवेदन शुल्क भी होना चाहिए । शुल्क पंजीकरण, तकनीकी छटनी, आकस्मिक व्यय और प्रत्येक व्यावसायिक परीक्षाओं के अन्त में अर्थात् प्रथम व्यावसायिक, द्वितीय व्यावसायिक और तृतीय व्यावसायिक परीक्षा के अन्त में परीक्षाओं के तीन निरीक्षणों/मूल्यांकनों के लिए होगा । तीन निरीक्षणों के अलावा परिषद् द्वारा निर्धारित सामान्य निरीक्षण शुल्क लागू होगा ।

पंजीकरण : द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हर प्रकार से सही पाए गए आवेदनों का पंजीकरण किया जाएगा तथा मूल्यांकन एवं सिफारिश के लिए भारतीय आयुविज्ञान परिषद् को भेजा जाएगा । आवेदन के पंजीकरण का अर्थ मात्र मूल्यांकन के लिए आवेदन स्वीकार करना है । तथापि, किसी भी परिस्थिति में, इसका अर्थ अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन का अनुमोदन नहीं होगा ।

नया आयुविज्ञान कालेज स्थापित करने के लिए आवेदन के प्रकरण हेतु भारतीय आयुविज्ञान परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1993 के अन्तर्गत निर्धारित एक वर्ष की अवधि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आवेदन पंजीकरण करने की तारीख से आरम्भ होगी ।

अपूर्ण आवेदनों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संलग्नकों तथा प्रकरण शुल्क सहित आवेदन आवेदक को वापस भेज दिया जाएगा ।

निर्धारित अवधि :- उपर्युक्त विनिर्दिष्ट समय सीमा की गणना करने में, योजना प्रस्तुत करने वाले प्राधिकरणों और संस्थानों द्वारा परिषद् अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा मांगी गई कोई और सूचना/स्पष्टीकरण अथवा प्रतिरिक्त प्रलेख प्रस्तुत करने में लगा समय शामिल नहीं किया जाएगा ।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मूल्यांकन :- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् प्रथमतः प्रस्तावित स्थान पर आयुर्विज्ञान कालेज स्थापित करने की वांछनीयता तथा प्रथम दृष्टया माध्यता तथा योजना के लिए आवश्यक स्रोत तथा आधारभूत संरचना उपलब्ध करने के लिए आवेदन की क्षमता जात करने के लिये आवेदन के भाग I का मूल्यांकन करेगी।

आवेदक के प्रत्येक भाग का मूल्यांकन करते समय परिषद् आवेदक से आवश्यकतानुसार और सूचना/स्पष्टीकरण अथवा अतिरिक्त प्रलेख मांग सकती है तथा सूचना के सत्यापन के लिए प्रत्यक्ष निरीक्षण भी कर सकती है।

अनुमति प्रदान करना :- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार आवश्यकतानुसार मूल प्रस्ताव में आशोधन की शर्तों सहित आयुर्विज्ञान कालेज स्थापित करने का आशय-पत्र जारी करेगी उपर्युक्त शर्तों तथा आशोधनों के स्वीकार हो जाने तथा आवेदक द्वारा अपेक्षित राशि की निष्पादन बैंक गारन्टी जमा करा देने के उपरान्त विधिवत अनुमति प्रदान की जाएगी।

विधिवत अनुमति में आयुर्विज्ञान कालेज की स्थापना तथा अस्पताल सुविधाओं के विस्तार के लिए समयबद्ध कार्यक्रम शामिल होगा। इस अनुमति में विद्याधियों के पहले बैच को प्रवेश देने से पूर्व भवनों, आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं, आयुर्विज्ञान तथा सम्बद्ध उपस्करों, संकाय तथा स्टाफ आदि के संबंध में प्राथमिक अपेक्षाओं को पूरा करने की सुस्पष्ट परिभाषा भी शामिल होगी। उत्तरवर्ती वर्षों के दौरान विद्याधियों की प्रवेश संख्या के अनुरूप आवेदक द्वारा प्राप्त किए जाने वाले वार्षिक लक्ष्य भी अनुमति में परिभाषित होंगे।

नया आयुर्विज्ञान कालेज स्थापित करने तथा विद्याधियों को प्रवेश देने की उपर्युक्त अनुमति प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी तथा वार्षिक लक्ष्य प्राप्त कर लेने के सत्यापन तथा निष्पादन बैंक गारन्टी की पुनर्वीक्षीकरण की शर्त के अधीन वर्षवार आधार पर मनोद्विती की जाएगी। नवीकरण की यह प्रक्रिया आयुर्विज्ञान कालेज स्थापित किए जाने तथा अस्पताल सुविधाओं के पूरा हो जाने तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा विधिवत् मान्यता प्रदान किए जाने तक जारी रहेगी। विकास के विभिन्न चरणों की अपेक्षाओं की भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की सन्तुष्टि के अनुसार पूरा न होने पर विलो भी स्तर पर आगे प्रवेश को रोक आ सकता है।

टिप्पणी :- परिषद् प्रस्तावित आयुर्विज्ञान कालेज से कोई भी अन्य सूचना, जिसे वह आवश्यक समझती है, प्राप्त कर सकती है।

परिशिष्ट-1

नया आयुर्विज्ञान कालेज स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार की अनुमति के लिये आवेदन का प्रारूप

(भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम की धारा 33 के साथ पठित धारा 10-क के अधीन)

आवेदक के स्थिर :-

आवेदक का नाम :-

(स्पष्ट प्रक्षरों में)

पता :-

(स्पष्ट प्रक्षरों में)

पंजीकृत कार्यालय :-

(न, मार्ग, नगर, पिन कोड,

टेलीफोन, टेलीक्स, टेलीफैक्स)

गठन

राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र/विश्वविद्यालय/

स्वायत्त निकाय, सोसाइटी, न्यास

पंजीकरण/संस्थापन :-

(संख्या एवं दिनांक)

संबद्ध विश्वविद्यालय का नाम :-

संलग्नकों की सूची

1. उपविधि/स्थापन तथा संस्था नियमावली/स्थाय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रादि।

2. पंजीकरण/संस्थापन प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।

3. पिछले 3 वर्षों की वार्षिक रिपोर्टें तथा लेखापरीक्षित तुलन-पत्र।

4. स्वामित्व के प्रमाण के रूप में कुल उचित भूमि के अधिकार पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।

5. उपलब्ध स्थलों की भूमि के उपयोग का उल्लेख करते हुए मण्डल योजना की प्रमाणित प्रतिलिपि।

6. मीजुषा अस्पताल के स्वामित्व का प्रमाण।

7. संबंधित राज्य सरकार/संघ क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी अनिवार्यता प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।

8. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता की सहमति की प्रमाणित प्रतिलिपि।

9. आवेदक के वित्तीय रिकार्ड के संबंध में स्वतन्त्र जांच करने के लिये केन्द्रीय सरकार/भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को प्राधिकृत करने के संबंध में आवेदक के बैंकर्स की सम्बंधित प्राधिकरण-पत्र।

आवेदन

आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान में नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम (स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा तथा उच्चतर विशेषताओं सहित) प्रारम्भ करने के लिये केन्द्रीय सरकार की अनुमति हेतु।

आवेदक के लिये अनुदेश :- आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान में आयुर्विज्ञान विषयों (परिशिष्ट-1) में उच्चतर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिये, आवेदक मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान होना चाहिये। आवेदक भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा अंगीकृत तथा समय-समय पर प्राशोधित, एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित स्नातक/स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा पर सिफारिशों में उल्लिखित विषय-निर्देशों के अनुरूप होना चाहिये। उन्हें इस अनुमति के लिये केन्द्रीय सरकार को आवेदन देना चाहिये। इस आवेदन के साथ राज्य सरकार की अनुमति, विश्वविद्यालय की सम्बद्धता तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के विनियमों की अनुरूपता में, अतिरिक्त वित्तीय व्यवस्था तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् मानकों के अनुसार अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था, अतिरिक्त उपस्करों तथा ग्रन्थ आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था तथा अतिरिक्त स्टाफ की भर्ती की व्यवस्था संबंधी प्रलेखी साक्ष्य संलग्न किये जाने चाहिये।

आवेदन/योजना प्रस्तुत करना तथा आवेदन शुल्क :- आवेदन (परिशिष्ट-2) पंजीकृत डाक द्वारा सूचना तथा "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्" के पत्र में नई दिल्ली में वेब डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में 1 लाख रुपये के गैर-वापसी आवेदन शुल्क के साथ सचिव (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, मौलाना आजाद मार्ग, नई दिल्ली, को प्रस्तुत किया जाये।

यह शुल्क पंजीकरण, तकनीकी छट्ठी एवं आकस्मिक प्रभारों और इस आशय के लिये प्रत्यक्ष निरीक्षण करने के लिये है।

अर्हक मानवण्ड : निम्नलिखित शर्तें पूरी करने वाले संगठन ही मौजूदा आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान में नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम आरम्भ करने के योग्य होंगे।

1. आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान एम.बी.बी.एस./स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के संचालन के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से मान्यता प्राप्त है।

2. मौजूदा आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान में नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम आरम्भ करने की वांछनीयता एवं साध्यता के संबंध में संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ शासित प्रशासन से आबेदक द्वारा प्राप्त अनुमति पत्र।

3. मौजूदा आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान में इन पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने के लिए आबेदक द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय की अनुमति का पत्र।

4. कि इन पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की सिफारिशों के अनुसार स्टाफ की संख्या, स्याग, निधियां, उपस्कर तथा अध्यापन विस्तर आदि जैसे अतिरिक्त उपस्कर तथा आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आबेदक के पास साध्यता एवं समयबद्ध कार्यक्रम है।

5. डिग्री तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों का चयन पूर्ण रूप से शैक्षणिक बरीयता के आधार पर होगा। विद्यार्थियों की संख्या के संबंध में अध्यापन स्टाफ की संख्या स्नातकोत्तर डिग्री के लिए 1 : 1, स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए 1 : 2 तथा उच्चतर विशेषज्ञताओं के लिए 1:1 के अनुपात में होनी चाहिए। इस संबंध में कृपया परिशिष्ट-2 देखें।

6. आबेदन में प्रत्येक विषय के लिए अतिरिक्त आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित अनुसार बैंक गारंटी की व्यवस्था है :-

स्नातकोत्तर डिग्री	85 लाख
स्नातकोत्तर डिप्लोमा	64 लाख
उच्चतर विशेषज्ञताएं	128 लाख

अपवाद : उपर्युक्त शर्तें आबेदक के रूप में राज्य सरकार होने की स्थिति में लागू नहीं होगी बशर्ते कि वे उनके द्वारा उल्लिखित समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण रूप से सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने तक नियमित रूप से उनके प्लान बजट में निधियां उपलब्ध कराये जाने का वचन दें।

आबेदन का पंजीकरण : अपूर्ण आबेदन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संलग्नकों तथा प्रक्रमण शुल्क सहित आबेदक को वापस भेज दिया जाएगा।

हर प्रकार से पूर्ण पाए गए आबेदन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पंजीकृत किये जाएंगे तथा मूल्यांकन एवं सिफारिश के लिए 30 दिन के भीतर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को भेज दिया जाएगा। आबेदन स्वीकार करने का अर्थ मात्र मूल्यांकन के लिए आबेदन स्वीकार करना होगा। किसी भी परिस्थिति में इसका अर्थ अनुमति प्रदान करने के लिए आबेदन का अनुमोदन नहीं होगा। नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम स्थापित करने के लिए आबेदन के प्रक्रमण के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम 1993 के अन्तर्गत निर्धारित एक वर्ष की अवधि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आबेदन पंजीकरण करने की तारीख से आरम्भ होगी।

निर्धारित अवधि : उपर्युक्त विनिर्दिष्ट समय सीमा की गणना करने में योजना प्रस्तुत करने वाले प्राधिकारियों और संस्थानों द्वारा परिषद अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा मांगी गई कोई भी सूचना/स्पष्टीकरण अथवा अतिरिक्त प्रलेख प्रस्तुत करने में लगा समय शामिल नहीं किया जाएगा।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मूल्यांकन : भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् मौजूदा आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान में नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए वांछनीयता तथा प्रथम दृष्टया साध्यता स्वीकार करने तथा योजना के लिए आवश्यक संसाधन तथा आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिए आबेदन की स्वीकार्यता के लिए आबेदन का मूल्यांकन करेगी। आबेदन का मूल्यांकन करते समय परिषद आबेदक से आवश्यकता-नुसार अन्य सूचना/स्पष्टीकरण अथवा अतिरिक्त प्रलेख मांग सकती है तथा सूचना के सत्यापन के लिए प्रत्यक्ष निरीक्षण करेगी।

अनुमति प्रदान करना : भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार आवश्यकतानुसार मूल प्रस्ताव में आशोधन की शर्तों सहित मौजूदा आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान में नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए आशय-पत्र जारी करेगी। उपर्युक्त शर्तों तथा आशोधनों के स्वीकार हो जाने तथा आबेदक द्वारा अपेक्षित राशि की निष्पादन बैंक गारंटी जमा करा देने के उपरान्त विधिवत अनुमति प्रदान की जाएगी। केन्द्रीय सरकार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की सिफारिश पर विधिवत अनुमति प्रदान करेगी।

परिशिष्ट-2

आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान में नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम (स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा तथा उच्चतर विशेषज्ञताओं सहित) आरम्भ करने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति हेतु आबेदन का प्रारूप

आबेदक के ग्यारे
आबेदक का नाम
(स्पष्ट अक्षरों में)
पता
(स्पष्ट अक्षरों में)
पंजीकृत कार्यालय
(सं. मार्ग, नगर, पिनकोड,
टेलीफोन, टैलेक्स, टेलीफैक्स)
गठन : विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/
संघ शासित क्षेत्र/प्रशासन स्वायत्त
निकाय, सोसायटी, न्यास
पंजीकरण/संस्थापना
(संख्या एवं दिनांक)
संबद्ध विश्वविद्यालय का नाम
अनुमोदित सीटों की संख्या तथा भारतीय
आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्रदान
करने की तारीख
संलग्नकों की सूची

1. संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन द्वारा विहित प्रोफार्म में जारी अनिवार्यता प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता की सहमति की प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. आबेदक के वित्तीय रिकार्ड के संबंध में स्वतंत्र जांच करने के लिए केन्द्रीय सरकार/भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को प्राधिकृत करने के संबंध में आबेदक के बैंकर्स को संबोधित प्राधिकरण पत्र।
4. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से कालेज/संस्थान की मान्यता के अनुमोदन संबंधी पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अनुबंध-1

आयुर्विज्ञान विषयों में उच्चतर पाठ्यक्रम की सूची
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आयोजित की जाने वाली विशेषज्ञताओं की
चार ग्रुपों में बांटा गया है।

प्रप-क : सामान्य मेडिसिन और सामान्य शल्य चिकित्सा

प्रप-ख : सीधे एम.डी./एम.एम. किए जाने वाली विशेषज्ञताएं :—

1. प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान
2. विकलांग विज्ञान
3. कान, नाक, गला
4. बाल चिकित्सा विज्ञान
5. नेत्र विज्ञान
6. सामाजिक और निरोधात्मक मेडिसिन
7. विकिरण निदान
8. विकिरण-चिकित्सा विज्ञान
9. निश्चेतनता विज्ञान
10. मनो रोग विज्ञान
11. रक्ता, विज्ञान, विनियरोलाजी और कुष्ठ
12. श्यायिक फारेन्सिक मेडिसिन
13. क्षय रोग और प्रसूत प्रकाश रोग
14. अस्पताल प्रशासन
15. संक्रामक रोग
16. सामाजिक मेडिसिन
17. सामुदायिक मेडिसिन
18. पारिवारिक मेडिसिन/सामान्य प्रेक्टिस
19. पोषण और आहार विज्ञान
20. आयुर्विज्ञान अर्थशास्त्र
21. खेलकूद मेडिसिन
22. जरा चिकित्सा
23. चिकित्सा धानुशिकी
24. दुर्घटनात्मक और आपातकालीन मेडिसिन
25. नाभिकीय मेडिसिन
26. वैमानिकी मेडिसिन
27. प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य
28. उष्ण कटिबंधी (ट्रोपिकल) मेडिसिन
29. प्रयोगात्मक मेडिसिन
30. प्रयोगात्मक शल्य चिकित्सा
31. रक्ता विज्ञान*
32. रक्त रोग (सेक्सुयली ट्रांसमिटेड)*
33. कुष्ठ*
34. भौतिकीय मेडिसिन और पुनर्वासन
35. अस्पताल प्रशासन सहित स्वास्थ्य प्रशासन
36. स्वास्थ्य प्रशासन
37. अस्पताल प्रशासन

मुख्य समस्याओं मलेरिया, कुष्ठ और जल संक्रामक के रोगों के साथ साथ शेष संक्रामक रोगों में से किसी एक पर बल देने हुए

प्रप-ग निम्नलिखित में और विशेषज्ञता अथवा डिग्री प्राप्त करने से पूर्व विशेषज्ञताएं जिनमें उम्मीदवार को प्रत्येक के सामने उल्लिखित किसी भी विषय में एम. एस. एम. डी. अथवा एम. आर. सी. पी. एक, आर. सी. एम. होना चाहिए :—

पूर्व प्रवेशार्ह

- | | |
|--|--|
| 1. न्यूरो-सर्जरी | एम एस (शल्य चिकित्सा) अथवा एम. एस. विकलांग विज्ञान |
| 2. कार्डियो थोरकिक सर्जरी | एम एस (शल्य चिकित्सा) |
| 3. प्लास्टिक सर्जरी | एम एस (शल्य चिकित्सा)
एम एस (विकलांग विज्ञान)
एम एस (कान नाक, गला) |
| 4. जेनिटो-यूरिनरी सर्जरी | एम एस (शल्य चिकित्सा)
एम डी (प्रसूति विज्ञान एवं स्त्री रोग विज्ञान) |
| 5. बाल चिकित्सा सर्जरी | एम एस (शल्य चिकित्सा)
एम एस (विकलांग विज्ञान) |
| 6. गैस्ट्रोएन्टेरोलाजी | एम डी (मेडिसिन)
एम डी (बाल चिकित्सा विज्ञान) |
| 7. एन्डोक्रिनोलाजी | एम डी (मेडिसिन)
एम डी (बाल चिकित्सा विज्ञान) |
| 8. न्यूरोलाजी | एम डी (मेडिसिन)
एम डी (बाल चिकित्सा विज्ञान) |
| 9. कार्डियोलाजी | एम डी (मेडिसिन)
एम डी (बाल चिकित्सा विज्ञान) |
| 10. क्लिनिकल हेमरोलाजी | एम डी (मेडिसिन)
एम डी (पेथालाजी) (विकृति विज्ञान) |
| 11. ग्रानुलोलाजी (मेडिसिन) | एम डी (मेडिसिन)
एम. डी. (बाल चिकित्सा विज्ञान)
एम डी (विकिरण चिकित्सा विज्ञान) |
| 12. ग्रानुलोलाजी (सर्जिकल) | एम एस (शल्य चिकित्सा)
एम एस (कान, नाक, गला)
एम एस (विकलांग विज्ञान)
एम डी (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान) |
| 13. नेफरोलाजी | एम डी (मेडिसिन)
एम. डी. (बाल चिकित्सा) |
| 14. गैस्ट्रो-इन्टोलाजी | एम एस (शल्य चिकित्सा) |
| 15. वास्कुलर सर्जरी | एम एस (शल्य चिकित्सा)
एम एस (विकलांग विज्ञान) |
| 16. क्लिनिकल फार्माकोलाजी और थेरेप्यूटिक्स | एम डी (मेडिसिन)
एम डी (फार्माकोलाजी) |
| 17. कोलो रेक्टल सर्जरी | एम एस (शल्य चिकित्सा) |
| 18. अन्य विषय | |

प्रप-घ अध्यापक विज्ञान

1. एनाटोमी (शरीर रचना विज्ञान)
2. फीजियोलोजी (शरीर विज्ञान)
3. बायो-केमिस्ट्री (जीव रसायन)
4. फार्माकोलाजी (औषध-विज्ञान)

*संस्थानों में, जहाँ इन विषयों पर अलग से स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान पाठ्यक्रम आरम्भ करना सम्भव 5 वर्ष की संक्रमण अवधि के दौरान संयुक्त पाठ्यक्रम की मौजूबा पद्धति को जारी रखा जाए।

5. माइक्रोबायोलॉजी (सूक्ष्म जीव विज्ञान)
6. पैथोलॉजी (रोग विज्ञान)
7. बायोजेनिकल्स (जीव भौतिकी)

टिप्पणी:—श्रेणी "ग" के अधीन विषयों में प्रशिक्षण आयोजित करने में परीक्षण परिषद के पूर्व अनुमोदन से किए जाएं।

सभी नैदानिक और गैर-नैदानिक विषयों के लिए निम्नलिखित समान नाम पद्धति अपनाई जाए:—

स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए नाम पद्धति:—

- (क) सामान्य मेडिसिन शब्द चिकित्सा में एम डी एम एस
 - (ख) सीधे स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त कर सकने वाली विशेषज्ञताओं में एम डी/एम एस
 - (ग) उम्मीदवार द्वारा पहले एम डी/एम एस प्राप्त की गई विशेषज्ञता अर्थात्:—
श्रेणी—"ग" की विशेषज्ञताओं के लिए डी एम/एम एस सी एच.
 - (घ) आधारभूत चिकित्सा विज्ञान में एम डी/एम एस
 - (ङ) आधारभूत विज्ञान में गैर-चिकित्सा व्यक्तियों के लिए परीक्षा द्वारा एम एस सी
- टिप्पणी:—गैर चिकित्सा व्यक्तियों को रोग-विज्ञान (पैथोलॉजी) में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश न दिया जाए
- (च) चिकित्सा और गैर-चिकित्सा व्यक्तियों दोनों के लिए शोध द्वारा पी एच डी

स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए नाम पद्धति

1. क्षयरोग और बक्षीय रोगों में डिप्लोमा (डी टी सी डी)

टिप्पणी:—क्षयरोग और बक्षीय रोगों में डिप्लोमा के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में पल्मनरी और पल्मनरी-इन्टर क्षयरोग और अन्य बक्षीय रोगों को भी शामिल किया जाए।

2. त्वचा विज्ञान, रजिज रोगों और कुष्ठ महिन् (डी बी डी)
3. निष्प्रेतता विज्ञान (डी ए)
4. ओटो-रेडियो लरीयनगोलॉजी (डी एल ओ)
5. बाल चिकित्सा (डी सी एच.)
6. नेत्र विज्ञान (डी ओ)
7. चिकित्सा विज्ञान (डी ओपी.)
8. नैदानिक रोग-विज्ञान (डी सी जी)
9. लोक स्वास्थ्य (डी पी एच)
10. मनोरोग विज्ञान (डीजीएम)
11. औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान में डिप्लोमा (डीआईएच) व्यावसायिक स्वास्थ्य में डिप्लोमा (डीओएच)
12. पेटिशन्धी (टोपिकल) मेडिसिन (डीटीएम व एच)
13. सूक्ष्म जीव विज्ञान में डिप्लोमा (डी माइक्रोबायोलॉजी)
14. प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान (डीजीओ)
15. प्रसूति एवं शिशु कल्याण (डीएमसी डब्ल्यू)
16. विकिरण चिकित्सा निदान (डीएमआर डी)
17. विकिरण चिकित्सा विज्ञान (डीएमआर टी)
18. जीव सांख्यिकी और कंप्यूटर मेडिसिन में डिप्लोमा (डी बी व सीएम)
19. नाभिकीय मेडिसिन में डिप्लोमा (डी एनएमपी)
20. स्वास्थ्य शिक्षा में डिप्लोमा (डी एचई)

21. वैमानिकी मेडिसिन में डिप्लोमा (डी आई पी फिएच मेडि)
22. प्रजनक जीव विज्ञान और परिवार नियोजन में डिप्लोमा (डी आर बी व एफ पी)
23. शारीरिक मेडिसिन में डिप्लोमा (डीआईपी फि वार्ड मेडि)
24. पोषण (न्यूट्रिशन) में डिप्लोमा (डी.एम)
25. अदिक (फोर्सिक) मेडिसिन में डिप्लोमा (डी.ए.ए.एम.)
26. अस्पताल प्रशासन में डिप्लोमा (डीएचए)
27. चिकित्सा बीरोलाजी में डिप्लोमा (डीएमबी)
28. सामुदायिक मेडिसिन में डिप्लोमा (डीसीएम)
29. मनेरिया विज्ञान में डिप्लोमा (डीआईपी मनेरिया)
30. जल संक्रामक रोगों में डिप्लोमा (डी डब्ल्यू डी)
31. चिकित्सा अर्थशास्त्र में डिप्लोमा (डीएमई)
32. अमकाम्य रुधिर विज्ञान और रक्त आधान में डिप्लोमा (डीआईएच बीटी)
33. रनिरोग (सेक्सुयली ट्रांसमिटिड) में डिप्लोमा (डीएचटीडी)
34. कुष्ठ रोग में डिप्लोमा (डी लैप)
35. त्वचा विज्ञान में डिप्लोमा (डी डी)
36. विकिरणीय भौतिकी में डिप्लोमा (डीआरपी)
37. चिकित्सा मनोविज्ञान में डिप्लोमा (डीएमपी)
38. अमकाम्यता विज्ञान और एलर्जी में डिप्लोमा (डीआईए)
39. मधुमेह रोग विज्ञान में डिप्लोमा (डीआईपी डायबिट)
40. खेलकूद मेडिसिन में डिप्लोमा (डीएसएम)
41. मरक विज्ञान (एपिडिमियोलॉजी) में डिप्लोमा (डीएपिड)
42. चिकित्सा कोट विज्ञान में डिप्लोमा (डी मेड एस्ट)

शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात

- (1) नैदानिक विषयों में एम डी. एम एस डिग्री के लिए, संबंधित विधाओं से संबंधित, आधारभूत चिकित्सा विज्ञान के साथ-साथ इन विषयों के पेपरों के लिये उचित प्रशिक्षण होना चाहिए। एम डी/एम एस के मामले में, आधारभूत चिकित्सा विज्ञान में विषय के व्यावहारिक पहलुओं और विषय पर एक पेपर का प्रशिक्षण होना चाहिए।
- (2) सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में चाहे नैदानिक हों अथवा आधारभूत चिकित्सा विज्ञान निरोधात्मक और सामाजिक पहलुओं पर जोर दिया जाए।
- (3) डिग्री पाठ्यक्रमों में यह परीक्षा का एक भाग होना चाहिए क्योंकि यह अनुसंधान प्रणाली विज्ञान में प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- (4) विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात इस प्रकार होना चाहिए कि स्नातकोत्तर शिक्षकों की संख्या प्रति वर्ष प्रवेश स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की संख्या की तुलना में 1:1 बनी रहे।

स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के उचित प्रशिक्षण के लिए प्रतिवर्ष प्रवेश किए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या की कोई सीमा होनी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक एकक में कम से कम 3 पूर्णकालिक स्नातकोत्तर शिक्षक होने चाहिए तथा प्रत्येक वर्ष स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिए 3 विद्यार्थियों से अधिक प्रवेश किए जा सकते हैं। एकक में स्नातकोत्तर शिक्षकों के 3 से अधिक होने पर विद्यार्थियों की संख्या में भी समानुपातिक रूप से वृद्धि की जा सकती है। इस प्रयोजन के लिए एक स्नातकोत्तर शिक्षक के साथ एक विद्यार्थी सहयोगित किया जाता चाहिए।

एम डी/एम एस पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों के अतिरिक्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम आयोजित किए जाने वाले विधाओं में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रतिवर्ष अधिकतम 6 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है।

आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान के किसी भी विभाग में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर शिक्षकों की संख्या 3 से अधिक होने पर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए प्रतिवर्ष विभाग में अधिकतम 12 विद्यार्थियों को प्रवेश की शर्त के अधीन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों की संख्या प्रति प्रतिरिक्त मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर शिक्षक के अनुसार दो विद्यार्थियों के अनुपात में बंटाई जा सकती है।

आवेदन

मौजूदा आयुर्विज्ञान कालेजों/संस्थानों में एम. बी. बी. एम./उच्चतर पाठ्यक्रम (डिप्लोमा/डिग्री/उच्चतर विशेषज्ञताओं सहित) की प्रवेश संख्या में वृद्धि हेतु केन्द्रीय सरकार की अनुमति के लिए।

आवेदक के लिए अनुदेश :— एम. बी. बी. एम./स्नातकोत्तर डिप्लोमा/उच्चतर विशेषज्ञताएं डिग्री स्तर में सीटों की संख्या में वृद्धि के लिए आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुरूप होना चाहिए। उन्हें इस अनुमति के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन देना चाहिए। इस आवेदन के साथ राज्य सरकार की अनुमति विश्वविद्यालय की सम्बद्धता तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के विनियमों की अनुसूचना में, अनिश्चित वित्तीय व्यवस्था, अनिश्चित उपकरणों की व्यवस्था तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद मानकों के अनुसार अन्य आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं तथा अनिश्चित स्टाफ की भर्ती की व्यवस्था संबंधी प्रेक्चरी साध्य संवन्न किए जाने चाहिए।

आवेदन/योजना प्रस्तुत करना और आवेदन शुल्क :—आवेदन (परिशिष्ट-3) पंजीकृत डाक द्वारा सूचना तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के पक्ष में नहीं दिल्ली में देय 1 लाख रुपये के गैर वापसी आवेदन शुल्क के साथ सचिव (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, मोलाना आशफ रोड, नई दिल्ली-110011 को प्रस्तुत किया जाये। यह शुल्क पंजीकरण, तकनीकी छंटनी एवं आकस्मिक व्यय और इस प्राण्य के लिए प्रत्यक्ष निरीक्षण करने के लिए है।

अहंक मानदण्ड :— निम्नलिखित शर्तें पूरी करने वाले आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान ही मौजूदा आयुर्विज्ञान कालेजों/संस्थानों में एम. बी. बी. एम./डिप्लोमा/डिग्री/उच्चतर विशेषज्ञताओं में प्रवेश की संख्या में वृद्धि के लिए आवेदन करने के योग्य है :—

1. आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान हत पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद में मान्यता प्राप्त है।
2. हत पाठ्यक्रमों के लिए मौजूदा आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान में सीटों की वृद्धि की वांछनीयता तथा साध्यता के संबंध में संबंधित राज्य सरकार अथवा संव शासन प्रशासन से आवेदक द्वारा प्राप्त अनुमति पत्र।
3. मौजूदा आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान में सीटों की वृद्धि के लिए आवेदक द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय की अनुमति का पत्र।
4. कि वही नई संख्या के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की मिकारिणों के अनुसार स्टाफ की संख्या, स्थान, निधियां उपकरण तथा अध्यापन बिस्तरों आदि जैसे अनिश्चित उपकरण तथा आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवेदक के पास साध्यता तथा समयबद्ध कार्यक्रम है।
5. अध्यापन बिस्तरों की संख्या 100 प्रवेश से अधिक 7 बिस्तर प्रति प्रवेश विद्यार्थी के अनुपात में होनी चाहिए। नैदानिक विभागों में एककों की संख्या में वृद्धि करनी होगी तथा अनिश्चित बरिष्ठ स्टाफ उपलब्ध करना होगा। अध्यापन स्टाफ की संख्या एम. बी. बी. एम. के लिए 1:10 विद्यार्थी, स्नातकोत्तर डिग्री के लिए 1:2 स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए 1:1 तथा उच्चतर विशेषज्ञता के लिए 1:1 के अनुपात में होनी चाहिए।

6. एम. बी. बी. एम. पाठ्यक्रम में प्रवेश की अधिकतम संख्या वार्षिक 150 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

7. कि अनिश्चित आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवेदन में निम्नलिखित अनुसार बैंक गारन्टी उपलब्ध कराई गई है :—

एम. बी. बी. एम.	-- 25 सीट	-- 50 लाख
	-- 50 सीट	-- 100 लाख
स्नातकोत्तर डिप्लोमा	-- प्रति सीट	-- 3 लाख
स्नातकोत्तर डिग्री	-- प्रति सीट	-- 5 लाख
उच्चतर विशेषज्ञता	-- प्रति सीट	-- 10 लाख

अपवाद : उपर्युक्त शर्तें आवेदक के रूप में राज्य सरकार होने की स्थिति में लागू नहीं होगी बशर्ते कि वे उनके द्वारा उल्लिखित समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण रूप से सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने तक नियमित रूप से उनके प्लान बजट में निधियां उपलब्ध कराये जाने का वचन दें।

आवेदन का पंजीकरण : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अपूर्ण आवेदन आवेदक को वापिस कर दिये जाएंगे।

हर प्रकार में पूर्ण पाए गए आवेदन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पंजीकृत किए जाएंगे तथा मूल्यांकन तथा मिकारिण के लिए 30 दिन के भीतर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को भेजे दिये जाएंगे। आवेदन स्वीकार करने का अर्थ मात्र मूल्यांकन के लिए आवेदन स्वीकार करता है। तथापि किसी भी परिस्थिति में इसका अर्थ अनुमति प्रदान करने के लिये आवेदन का अनुमोदन नहीं होगा।

निर्धारित शर्तें : उपर्युक्त विनिर्दिष्ट समय सीमा की गणना करने में योजना प्रस्तुत करने वाले प्राधिकरणों और संस्थानों द्वारा परिषद अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा मांगी गई कोई और सूचना/स्पष्टीकरण अथवा अनिश्चित प्रवेश प्रस्तुत करने में लगा समय शामिल नहीं किया जाए।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मूल्यांकन :— भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद मौजूदा आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान की प्रवेश संख्या में वृद्धि करने के लिए वांछनीयता तथा प्रथमा दृष्टया साध्यता स्वीकार करने तथा योजना के लिए आवश्यक संसाधन तथा आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिए आवेदन की स्वीकार्यता के लिए आवेदन का मूल्यांकन करेगी। आवेदन का मूल्यांकन करते समय परिषद आवेदक से आवश्यकता अनुसार और सूचना/स्पष्टीकरण अथवा अनिश्चित प्रवेश मांग सकती है तथा सूचना के सत्यापन के लिए प्रत्यक्ष निरीक्षण करेगी।

अनुमति प्रदान करना :— भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की मिकारिणों पर केन्द्रीय सरकार आवश्यकता अनुसार मूल प्रस्ताव में प्राणोद्यन की शर्तों सहित उपर्युक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश में वृद्धि के लिए प्राण्य-पत्र जारी करेगी। उपर्युक्त शर्तें तथा प्राणोद्यनों के स्वीकार हो जाने तथा आवेदक द्वारा अपेक्षित राशि की निष्पादन बैंक गारन्टी जमा करा देने के उपरान्त विधिवत अनुमति प्रदान की जाएगी। केन्द्रीय सरकार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की मिकारिण पर विधिवत अनुमति प्रदान करेगी।

परिशिष्ट -3

मौजूदा आयुर्विज्ञान कालेजों/संस्थानों में एम. बी. बी. एम./अध्ययन के उच्चतर पाठ्यक्रम (डिप्लोमा/डिग्री/उच्चतर विशेषज्ञताओं) में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु केन्द्रीय सरकार की अनुमति के लिए आवेदन का प्रारूप

आवेदक के ध्योरे
आवेदक का नाम
(माफ अक्षरों में)

पंजीकृत बायोलेथ

(सं. मार्ग, नगर, पिन कोड,
टेलीफोन, टेलीग्राम, टेलीफैक्स)

गठन राज्य सरकार/मंत्र शासित क्षेत्र/

प्रशासन/विश्वविद्यालय/स्वायत्त

निकाय, सोसाइटी, न्यास,

पंजीकरण/संस्थानता

(संस्था एवं दिनांक)

संबद्ध विश्वविद्यालय का नाम

अनुमोदित सीटों की संख्या तथा

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा

मान्यता प्रदान करने का तारीख

सम्बन्धों की सूची

1. नवीन राज्य, सरकार/मंत्र शासित प्रशासन द्वारा विहित प्रोफार्म में जारी अनिवार्यता प्रमाण-पत्र को प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता की सहायता की प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. आवेदक के वित्तीय रिकार्ड के संबंध में स्वतन्त्र जांच करने के लिए केन्द्रीय सरकार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को प्राधिकृत करने के संबंध में आवेदक के बैंकर्स को सम्बोधित प्राधिकरण पत्र।
4. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से कॉलेज/संस्थान की मान्यता के अनुमोदित संबंधी पत्र को प्रमाणित प्रतिलिपि।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 1993

MCI-34(41)/93-Med. (N).—In exercise of the powers conferred by Section 10A read with Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India, with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations relating to establishment of new medical colleges, opening of higher courses of study and increase of admission capacity of the medical colleges, namely :—

1. (1) Short title and commencement.—These regulations may be called the Establishment of new Medical Colleges, opening of higher courses of study and increase of admission capacity in medical colleges Regulation 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Scheme relating to medical colleges.—The scheme referred to in clauses (a) and (b) of sub-section (2) of Section 10-A of the Indian Medical Council Act, 1956 is annexed hereto.

Dr. (Mrs.) M. SACHDEVA, Secy.
Medical Council of India
New Delhi

SCHEME

APPLICATION FOR PERMISSION OF THE CENTRAL GOVERNMENT TO ESTABLISH A NEW MEDICAL COLLEGE

INSTRUCTIONS TO THE APPLICANT

Eligibility Criteria

The following organisations shall be eligible to apply for permission to set-up new medical colleges:—

1. Universities & State Governments/Union Territories.
2. Autonomous Bodies promoted by Central and State Governments.
3. Societies registered under Societies Registration Act, 1860 or corresponding Acts in States.
4. Public Trusts religious or charitable registered under Indian Trust Act, 1882, Wakfs Act etc.

QUALIFYING CRITERIA

The eligible organisations shall abide by Indian Medical Council Act, 1956 as modified from time to time and the regulations framed thereunder and shall qualify to apply for permission to establish new medical colleges only if the following conditions are fulfilled:—

1. that Medical Education is one of the main objectives of the applicant.
2. that suitable plot of land as prescribed by the Medical Council of India is owned and possessed by the applicant to set-up the proposed medical college;
3. that Essentiality Certificate regarding the desirability and feasibility of having the proposed medical college at the proposed location has been obtained and that the adequate clinical material is available as per Medical Council of India requirements has been obtained by the applicant from the respective State Government or the Union Territory Administration;
4. that Consent of Affiliation for the proposed medical college has been obtained by the applicant from a recognised university.
5. that the applicant owns and manages a hospital of not less than 300 beds with necessary infrastructural facilities and capable of being developed into a teaching institution as prescribed by the Medical Council of India, in the vicinity of proposed medical college;
6. that the applicant has a feasible and time bound programme to set up the proposed medical college along with required infrastructural facilities, including adequate hostel facilities for boys and girls, and as prescribed by the Medical Council of India, commensurate with the proposed intake of students, so as to complete the medical college within a period of four years from the date of grant of permission;
7. that the medical college will admit students only after the Indian Medical Council has satisfied itself about the infrastructural and other facilities for starting MBBS and after receiving a written permission from Central Government.
8. that the applicant has a feasible and time bound expansion programme to provide additional beds and infrastructural facilities, as prescribed by the Medical Council of India, by way of upgradation of the existing hospital or establishment of new hospital or both so as to collectively provide the following bed complement within a period of four years from the date of grant of permission to set up the proposed medical college :

Proposed Annual intake of undergraduate students	Minimum Annual Increase in bed strength	Total bed complement at the end of 4 years
50	50	500
100	100	700

9. that the applicant has the necessary managerial and financial capabilities to establish and maintain the proposed medical college and its ancillary facilities including a teaching hospital, and
10. that the applicant provides two performance bank guarantees in favour of the Medical Council of India, one for a sum of Rs. 100 lakh (for 50 annual admissions), Rs. 150 lakhs (for 100 admissions), and Rs. 200 lakhs (for 150 annual admissions), for the establishment of the medical college and its infrastructural facilities and the second for a sum of Rs. 350 lakhs (for 500 beds), Rs. 550 lakhs (for 700 beds) and Rs. 750 lakhs (for 1000 beds) for the establishment of the teaching hospital and its infrastructural facilities, as per schedule.

Exception.—The above condition shall not apply to applicants who are State Governments provide that they shall give an undertaking to provide funds in their Plan Budget regularly till facilities are fully provided as per the time bound programme indicated by them.

FORMS & PROCEDURES

Subject to the fulfilment of the above Eligibility and Qualifying criteria, the application for setting up a new medical college will be submitted by the applicant in the following three parts:—

Part I

Part-I of the application (Appendix-I) will contain the following particulars about the applicant and information regarding the desirability and prima-facie feasibility of setting up a medical college at the proposed location:

1. Information regarding constitution of the applicant organisation within the terms of reference of the eligibility criteria;
2. Information regarding basic infrastructural facilities and managerial and financial capabilities of the applicant; and
3. Information regarding availability of necessary certificates and consents as prescribed in the qualifying criteria.

Part II

Part-II of the application will contain detailed description of the scheme to set up the new medical college and will be submitted in the form of a detailed Techno-Economic Feasibility Report about the proposed medical college complete with the following:

1. name and address of the medical college;
2. market survey and environmental analysis, including national and regional medical education policy, need and availability of trained medical manpower, gap analysis, desirability and prima-facie feasibility of establishing a new medical college at the proposed location;
3. site characteristics and availability of external linkage including topography, plot size, permissible floor space index, ground coverage, building height, road access, availability of public transport, electric supply, water supply, sewage connection, telephone lines etc.
4. educational programme including annual intake of students, admission criteria, and method of admission, reservation/preferential allocation of seats (if any), departmentwise and year wise curriculum of studies;
5. functional programme including department-wise service-wise functional requirements and area distribution and room-wise seating capacity.
6. equipment programme including room-wise list of medical, scientific and allied equipment complete with schedule of quantities and specifications;

7. manpower programme: including department-wise requirements of teaching staff (full-time), technical, administrative and ancillary staff, category-wise recruitment criteria and salary structure etc. (minimum as per UGC scale);
8. building programme: including building-wise built-up area of the medical college, faculty and staff housing, staff and student hostels, administrative office, library, auditorium, animal house, mortuary, and other infrastructural facilities such as cultural and recreational centre, sports complex etc.;
9. planning and layout: including master plan of the medical college complex, layout plans, sections, elevations and floor-wise area calculations of the medical college and ancillary building etc.;
10. phasing and scheduling: including month-wise schedule of activities indicating commencement and completion of building design, local body approvals, civil construction, provision of engineering services and equipment, recruitment of staff and phased commissioning commensurate with the proposed intake of students;
11. project cost: including capital cost of land, buildings, plant and machinery, medical scientific and allied equipment, furniture and fixtures, and preliminary and pre-operative expenses;
12. means of financing the project cost, including contribution of the applicant, grants and donations, equity and term loans, and other sources, if any;
13. revenue assumptions: including fee structure and estimated annual revenue from various sources;
14. expenditure assumptions: including operating expense and depreciation; and
15. operating results: including income statement, cash flow statement and projected balance sheets.

PART III

Part III of the application will contain detailed description of the existing hospital and the proposed expansion scheme to upgrade the existing hospital or to set up an additional hospital or both to coincide with the phased development of the proposed medical college. This part of the application will also be submitted in the form of a detailed Techno-Economic Feasibility Report about the expansion programme and will include the following:

1. name and address of the existing hospital;
2. details about the existing hospital and its ancillary building, including bed strength, built-up area, clinical and para-clinical disciplines, bed distribution, architectural and lay-out plans, list of medical and allied equipment, capacity and configuration of engineering services, hospital services, administrative services and other ancillary and support services, category-wise staff strength etc.;
3. details about the additional land for expansion of the existing hospital or for setting up of new hospital, including land particulars, distance from the proposed medical college, plot size, authorized land usage, geography soil conditions, road access, availability of public transport, electric supply, water supply sewage connection, telephone lines etc.;
4. upgraded medical programme: including the additional clinical and para-clinical disciplines envisaged under the expansion scheme;
5. upgraded functional programme: including speciality-wise and service-wise functional requirements and area distribution and speciality-wise bed distribution;
6. building programme: including details about additional built-up area of the hospital, staff housing, staff and student hostels and other ancillary buildings;

7. planning and layout : including upgraded master plan of the hospital complex or master plan of the proposed new hospital as the case may be, along with layout plans, sections, elevations and floor-wise area calculations of the hospital and ancillary buildings;
8. details about upgradation or additional in the capacity and configuration of engineering services and hospital services;
9. equipment programme : including upgraded room-wise list of medical and allied equipment, schedule of quantities and specifications;
10. upgraded manpower programme : including category-wise distribution of medical, para-medical and other staff;
11. phasing and scheduling of the expansion scheme : including month-wise master schedule of activities indicating commencement and completion of building design, local body approvals, civil construction, provision of engineering and hospital services, provision of medical and allied equipment, recruitment of staff etc. to commensurate with the development of the proposed medical college;
12. project cost of the expansion scheme : including additional cost of land, buildings, engineering and hospital services, medical and allied equipment, furniture and fixtures and preliminary and pre-operative expenses;
13. means of financing the cost of expansion scheme : including contribution of the applicant, grants and donations, equity and term loans and other sources, if any;
14. revenue assumptions : including details of income from various procedures and services, upgraded service loads and annual revenue;
15. expenditure assumptions : including operating expenses, financial expenses, and depreciation; and
16. operating results : including income statements, cash flow statements and balance sheets.

APPLICATION FEE :

The application shall be submitted by registered post only to the Secretary (Health), Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India, Maulana Azad Road, Nirman Bhavan, New Delhi-110011 alongwith a non-refundable application fee of Rs. two lakhs in the form of demand draft/pay order in favour of 'Medical Council of India' payable at Delhi. The fee is for registration, technical scrutiny, contingent expenditure and for three inspections/evaluation of the examinations at the end of each professional examinations i.e. at the end of 1st professional examinations, 11th professional and 11th professional. Beyond three inspections, the normal inspection fee prescribed by the Council will apply.

REGISTRATION :

Applications found complete in all respects will be registered by the Ministry of Health and Family Welfare and forwarded to the Medical Council of India for evaluation and recommendations. Registration of the applications will only signify the acceptance of the application for evaluation. It will however, under no circumstances, mean approval of the application for grant of permission.

The period of one year prescribed under the Indian Medical Council (Amendment) Ordinance of 1993 for processing of an application for setting up of a new medical college will commence from the date of registration of the application by the Ministry of Health and Family Welfare.

Incomplete applications will not be registered and will be returned by the Ministry of Health and Family Welfare to the applicant along with enclosures and processing fee.

PRESCRIBED PERIOD :

In computing the time limit specified above, the time taken by the authorities and institutions submitting the scheme in furnishing any information/clarification or additional documents called for by the Council or by the Central Government shall be excluded.

EVALUATION BY MCI :

Medical Council of India will evaluate Part-I of the application in the first instance to establish the desirability and prima-facie feasibility of setting up the medical college at the proposed location and the capability of the applicant to provide the necessary sources and infrastructure for the scheme. While evaluating each, part of the application, the Council may seek further information/clarification or additional documents from the applicant as considered necessary or may carry out physical inspection to verify the information.

GRANT OF PERMISSION :

The Central Government on the recommendation of the Medical Council of India, may issue a letter of intent to set up a new medical college with such conditions by modification in the original proposal as may be considered necessary. The formal permission will be granted after the above conditions and modifications are accepted and the performance bank guarantees for the required sums are furnished by the applicant.

The formal permission will include a time bound programme for the establishment of the medical college and expansion of the hospital facilities. This permission will also include a clear-cut definition of preliminary requirements to be met in respect of buildings, infrastructural facilities, medical and allied equipment, faculty and staff etc. before admitting the 1st batch of students. The permission will also define annual targets to be achieved by the applicant to commensurate with the intake of students during the following years.

The above permission to establish a new medical college and admit students will be granted initially for a period of one year and will be renewed on yearly basis subject to verification of the achievements of annual targets and revalidation of the performance bank guarantees. The process of renewal of permission will continue till such time the establishment of the medical college and expansion of the hospital facilities is completed and a formal recognition of the medical college by the Medical Council of India is granted. Further admissions are liable to be stopped at any stage unless the requirements for various steps of development are to the satisfaction of Medical Council of India.

H.R.—The Council may obtain any other information from the proposed medical college as it deems fit and necessary.

APPENDIX I

FORMAT OF APPLICATION FOR PERMISSION OF THE CENTRAL GOVERNMENT TO ESTABLISH A NEW MEDICAL COLLEGE

(Under section 10-A read with section 33 of the Indian Medical Council Act.)

PARTICULARS OF THE APPLICANT

NAME OF THE APPLICANT
(IN BLOCK LETTERS)

ADDRESS
(IN BLOCK LETTERS)

REGISTERED OFFICE
(NO., STREET, CITY, PIN CODES,
TELEPHONE, TELEX, TELEFAX)

CONSTITUTION

(STATE GOVERNMENT/UT/
UNIVERSITY, AUTONOMOUS BODY,
SOCIETY, TRUST)

REGISTRATION/INCORPORATION :
(NUMBER AND DATE)

**NAME OF AFFILIATING
UNIVERSITY :**

LIST OF ENCLOSURES :

1. Certified copy of Bye. Laws/Memorandum and Articles of Association/Trust Deed etc.
2. Certified Copy of Certificate of Registration/Incorporation.
3. Annual Reports and Audited Balance Sheets for the last 3 years.
4. Certified Copy of the Title Deeds of the total available land as a proof of ownership.
5. Certified Copy of the Zoning Plans of the available sites indicating their land use.
6. Proof of ownership of the existing Hospital.
7. Certified Copy of the Essentiality Certificate issued by the respective State Government/Union Territory Administration.
8. Certified copy of the Consent of Affiliation issued by a recognised University.
9. Authorization Letter addressed to the Bankers of the Applicant authorizing the Central Government/Medical Council of India to make independent enquiries regarding the financial track record of the applicant.

APPLICATION

**FOR PERMISSION OF THE CENTRAL GOVERNMENT
FOR STARTING NEW OR HIGHER COURSES (INCLUDING PG DEGREE/DIPLOMA AND HIGHER SPECIALITIES) IN A MEDICAL COLLEGE/INSTITUTION.**

INSTRUCTION TO THE APPLICANT :

For starting higher courses in medical subjects (Annexure D) in the medical colleges/institutions, the applicant should be a recognised medical college or institutions. The applicant should conform to the guidelines laid down in the recommendations on Graduate/Postgraduate Medical Education adopted by the Medical Council of India and modified from time to time and approved by the Central Government. They should apply to the Central Government for this permission along with the State Government's permission, University's affiliation and in conformity with the Medical Council of India regulations along with the documentary evidence to show additional financial allocation, provision for additional space, provision for additional equipment and other infrastructural facilities and provision of recruitment of additional staff as per Medical Council of India norms.

SUBMISSION OF APPLICATION/SCHEME AND APPLICATION FEE :

The application (Appendix II) shall be submitted by registered post to the Secretary (Health), Ministry of Health & Family Welfare, Government of India, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi along with the information and non-refundable application fee of Rs. One lakh in the form of demand draft in favour of "Medical Council of India" and payable at Delhi. This fee is for registration, technical scrutiny and contingent charges and for carrying out physical inspection for the purpose.

QUALIFYING CRITERIA :

The Organisation shall qualify for starting the new or higher courses in the existing medical colleges/institutions only if the following conditions are fulfilled :—

1. The Medical College/Institution is recognised by the medical Council of India for running MBBS/Postgraduate courses.

2. The permission letter regarding desirability and feasibility for starting of new or higher courses as the existing medical college/institution has been obtained by the applicant from the respective State Government or the Union Territory administration.
3. Letter of University's permission for starting these courses at the existing medical college/institution has been obtained by the applicant from the University to which it is affiliated.
4. That the applicant has a feasible and time bound programme to provide additional equipment and infrastructural facilities like the number of staff, space, funds, equipment and teaching beds etc. for starting these higher courses as per Medical Council of India recommendations.
5. Selection of candidates for degree and diploma courses will be made strictly on the basis of academic merit. The number of teaching staff in relation to the number of students will have to be in the ratio of 1:1 for P.G. degree, 1:2 for PG diploma and 1:1 for higher specialities. In this regard Annexure II may be seen.
6. The application provides a bank guarantee for providing additional infrastructural facilities for each discipline as follows :—

P.G. degree	— Rs. 85 lakhs
P.G. diploma	— Rs. 64 lakhs
Higher Specialities	— Rs. 128 lakhs

Exception: The above condition shall not apply to applicants who are State Governments provided that they shall give an undertaking to provide funds in their Plan Budget regularly till facilities are fully provided as per the time bound programme indicated by them.

REGISTRATION OF APPLICATION :

Incomplete applications will be returned by the Ministry of Health and Family Welfare to the applicant along with enclosures and processing fee.

Applications found complete in all respects will be registered by the Ministry of Health and Family Welfare and forwarded to the Medical Council of India within 30 days for evaluation and recommendations. Acceptance of the applications will only signify the acceptance of the application for evaluation. It will however, under no circumstances, mean approval of the application for grant of permission. The period of one year prescribed under the Indian Medical Council (Amendment) Act, 1933 for processing of an application for starting new or higher courses will commence from the date of registration of the applications by the Ministry of Health & Family Welfare.

PRESCRIBED PERIOD :

In computing the time limit specified above, the time taken by the authorities and institutions submitting the scheme in furnishing any information/clarification or additional documents called for by the Council or by the Central Government shall be excluded.

EVALUATION BY MEDICAL COUNCIL OF INDIA :

The Medical Council of India will evaluate the application to accept the desirability and prima facie feasibility for starting new or higher courses at the existing medical college/institution and the capability of the applicant to provide the necessary resources, and infrastructure for the scheme.

While evaluation the application, the Council may seek further information/clarification or additional documents from the applicant as considered necessary and will carry out a physical inspection to verify the information.

GRANT OF PERMISSION :

The Central Government on the recommendations of the Medical Council of India, may issue a letter for intent for

starting new or higher courses in the existing medical colleges/institutions with such conditions or modifications in the original proposal as may be considered necessary. The formal permission will be granted after the above conditions and modifications are accepted and the performance bank guarantees for the required sums are furnished by the applicant. The Central Government on the recommendations of the Medical Council of India may issue the formal permission.

APPENDIX-II

FORMAT OF APPLICATION FOR PERMISSION OF THE CENTRAL GOVERNMENT FOR STARTING NEW OR HIGHER COURSES (INCLUDING PG DEGREE/DIPLOMA AND HIGHER SPECIALITIES) IN A MEDICAL COLLEGE/INSTITUTION PARTICULARS OF THE APPLICANT :

NAME OF THE APPLICANT
(IN BLOCK LETTERS)

ADDRESS
(IN BLOCK LETTERS)

REGISTERED OFFICE
(NO., STREET, CITY, PIN CODE
TELEPHONE, TELEX, TELEFAX)

CONSTITUTION
(UNIVERSITY|STATE GOVERNMENT|
UNION TERRITORY ADMINISTRATION
AUTONOMOUS BODY, SOCIETY|TRUST)

REGISTRATION|INCORPORATION
(NUMBER & DATE)

NAME OF AFFILIATING UNIVERSITY

NO. OF SEATS APPROVED AND
DATE OF RECOGNITION BY MCI

LIST OF ENCLOSURES

1. Certified copy of the Essentiality Certificate issued by the respective State Government| Union Territory Administration on the prescribed proforma.
2. Certified copy of the Consent of Affiliation issued by a recognised University.
3. Authorization letter addressed to the Bankers of the Applicant authorizing the Central Government|Medical Council of India to make independent enquiries regarding the financial track record of the applicant.
4. Certified copy of the letter from Medical Council of India approving recognition of the college|institution.

ANNEXURE-I

LIST OF HIGHER COURSES IN MEDICAL SUBJECTS

The specialities for which postgraduate courses may be conducted are divided into four groups.

Group—A. General Medicine and General Surgery.

Group—B. Specialities in which a Straight MD|MS can be taken :

1. Obstetrics and Gynaecology.
2. Orthopaedics.
3. E.N.T.
4. Paediatrics.
5. Ophthalmology.
6. Social & Preventive Medicine.
7. Radio-diagnosis.
8. Radio-therapy.
9. Anaesthesiology.
10. Psychiatry.
11. Dermatology, Venereology and Leprosy.
12. Forensic Medicine.
13. Tuberculosis & Respiratory Diseases.
14. Hospital Administration.
15. Communicable Diseases—With emphasis on the major problems—Malaria, Leprosy and Water Borne Disease alongwith any one of the remaining communicable Diseases.
16. Social Medicine.
17. Community Medicine.
18. Family Medicine|General Practice.
19. Nutrition & Dietetics.
20. Medical Economics.
21. Sports Medicine.
22. Geriatrics.
23. Medical Genetics.
24. Accidental & Emergency Medicine.
25. Nuclear Medicine.
26. Aviation Medicine.
27. Maternity and Child Health.
28. Tropical Medicine.
29. Experimental Medicine.
30. Experimental Surgery.
- *[21. Dermatology.
- *[32. Sexually Transmitted Diseases.
- *[32. Leprosy.
34. Physical Medicine & Rehabilitation.
35. Health Administration including Hospital Administration.
36. Health Administration.
37. Hospital Administration.

*Institutions where it may not be possible to start separate postgraduate medical courses in these subjects, the present system of joint course may continue for the transitional period of 5 years.

Group—C. Specialities in which a Candidate shall have MD/MS in any of the subjects noted against each or MRCP/FRCS before taking up further Specialisation or degree in the following :

	Prior Requirement
1. Neuro Surgery	M.S. (Surgery) or M.S. (Orthopaedics)
2. Cardio-Thracic Surgery.	M.S. (Surgery)
3. Plastic Surgery.	M.S. (Surgery) M.S. (Orthopaedics) M.S. (E.N.T.)
4. Genito-Urinary Surgery.	M.S. (Surgery) M.D. (Obst. & Gynae.)
5. Paediatrics Surgery.	M.S. (Surgery) M.S. (Orthopaedics)
6. Gastroenterology.	M.D. (Medicine) M.D. (Paediatrics)
7. Endocrinology.	M.D. (Medicine) M.D. (Paediatrics)
8. Neurology.	M.D. (Medicine) M.D. (Paediatrics)
9. Cardiology.	M.D. (Medicine) M.D. (Paediatrics)
10. Clinical Haematology.	M.D. (Medicine) M.D. (Pathology) M.D. (Paediatrics)
11. Oncology (Medical)	M.D. (Medicine) M.D. (Paediatrics) M.D. (Radio-therapy)
12. Oncology (Surgical)	M.S. (Surgery) M.S. (E.N.T.) M.S. (Orthopaedics) M.D. (Radio-therapy) M.D. (Obst. & Gynae.)
13. Nephrology.	M.D. (Medicine) M.D. (Paediatrics)
14. Gastro-Enterology.	M.S. (Surgery)
15. Vascular Surgery.	M.S. (Surgery) M.S. (Orthopaedics)
16. Clinical Pharmacology and Therapeutics.	M.D. (Medicine) M.D. (Pharmacology)
17. Colo Rectal Surgery.	M.S. (Surgery)
18. Other subjects.	

Group - D. Basic Sciences.

1. Anatomy.
2. Physiology.
3. Bio-chemistry.
4. Pharmacology.
5. Microbiology.
6. Pathology.
7. Bio-physics.

Note : Experiments in organising training in subjects under Category 'C' be done with the prior approval of the Inspection Council.

The following nomenclature should be uniformly adopted for all clinical and non-clinical subjects.

Nomenclature for P. G. Degree Course

- (a) M.D./M.S. in General Medicine/Surgery.
- (b) M.D./M.S. for specialities in which a straight postgraduate degree can be taken.
- (c) D.M./M.Ch. for specialities in which a candidate should have taken prior M.D./M.S., i.e. for specialities in Category 'C'.
- (d) M.D./M.S. in basic Medical Sciences.
- (e) M.Sc. by examination for non-medical persons in Basic Medical Sciences.

Note :—Non-medical persons should not be admitted to postgraduate courses in Pathology.

- (f) Ph.D. by thesis for both medical and non-medical persons.

Nomenclature for P.G. Diplomas

1. Diploma in Tuberculosis and Chest Diseases (D.T.C.D.)

Note : The training courses for diploma in Tuberculosis and Chest Diseases should cover both pulmonary and extra pulmonary Tuberculosis as well as other chest diseases.

2. Dermatology, including Venereal Diseases and Leprosy (D.V.D.)
3. Anaesthesiology (D.A.)
4. Oto-Rhino-Laryngology (D.L.O.)
5. Paediatrics (D.C.H.)
6. Ophthalmology (D.O.)
7. Orthopaedics (D.Orth.)
8. Clinical Pathology (D.C.P.)
9. Public Health (D.P.H.)
10. Psychiatry (D.P.M.)
11. Diploma in Industrial Hygiene (D.I.H.)
Diploma in Occupational Health (D.O.H.)
12. Tropical Medicine (D.T.M. & H.)
13. Diploma in Microbiology (D.Microbiology)
14. Obstetrics and Gynaecology (D.C.O.)

15. Maternity and Child Welfare (D.M.C.W.)
16. Radiology Diagnosis (D.M.R.D.)
17. Radiology Therapy (D.M.R.T.)
18. Diploma in Biostatistics and Computer Medicine (D.B. & C.M.)
19. Diploma in Nuclear Medicine (D.N.M.)
20. Diploma in Health Education (D.H.E.)
21. Diploma in Aviation Medicine (Dip. Phy. Med.)
22. Diploma in Reproductive Biology and Family Planning (D.R.B. & F.P.)
23. Diploma in Physical Medicine (Dip. Phy. Med.)
24. Diploma in Nutrition (D.N.)
25. Diploma in Forensic Medicine (D.F.M.)
26. Diploma in Hospital Administration (D.H.A.)
27. Diploma in Medical Virology (D.M.V.)
28. Diploma in Community Medicine (D.C.M.)
29. Diploma in Malarialogy (Dip. Malaria)
30. Diploma in Waterborne Diseases (D.W.D.)
31. Diploma in Medical Economics (D.M.E.)
32. Diploma in Immuno-haematology and Blood Transfusion (D.I.H.B.T.)
33. Diploma in Sexually Transmitted Diseases (D.S.T.D.)
34. Diploma in Leprosy (D. Lep.)
35. Diploma in Dermatology (D.D.)
36. Diploma in Radiological Physics (I.R.P.)
37. Diploma in Medical Psychology (D.M.P.)
38. Diploma in Immunology & Allergy (D.I.A.)
39. Diploma in Diabetology (Dip. Diabet.)
40. Diploma in Sport Medicine (D.S.M.)
41. Diploma in Epidemiology (D. Epid.)
42. Diploma in Medical Entomology (D. Med. Ent.)

TEACHER-STUDENT RATIO

General

- (1) For M.D./M.S. degree in clinical subjects, there shall be proper training in basic medical sciences related to the disciplines concerned as well as paper in these subjects at the examination. In the case of M.D. and M.S. in basic medical sciences there should be training in applied aspect of the subject and a paper on the subject.
- (2) In all postgraduate courses, whether clinical or basic medical sciences, preventive and social aspects should be emphasised.

- (3) This should be a part of the examination in the degree courses as this gives training in research methodology.
- (4) The student teacher ratio should be such that the number of postgraduate teachers to the number of postgraduate students admitted per year be maintained at 1:1.

For the proper training of the postgraduate students, there should be a limit to the number of student admitted per year. For this purpose every unit should consist of at least 3 full time postgraduate teachers and can admit not more than 3 students for postgraduate training per year. If the number of postgraduate teachers in the unit is more than three then the number of students can be increased proportionately. For this purpose one student should associate with one Postgraduate Teacher.

In addition to students admitted to M.D./M.S. course, a maximum of 6 students per year can be admitted to diploma courses in such department where diploma courses are conducted. If the number of recognised postgraduate teachers in any department of a medical college/institution in more than three, the number of students for admission to the diploma course may be increased at a ratio of two students per additional recognised postgraduate teacher per year subject to a maximum of 12 students admitted in the department per year for the diploma courses.

APPLICATION FOR PERMISSION OF THE CENTRAL GOVERNMENT TO INCREASE THE ADMISSION CAPACITY IN MBBS/HIGHER COURSES (INCLUDING DIPLOMA/DEGREE/HIGHER SPECIALITIES) IN THE EXISTING MEDICAL COLLEGES/INSTITUTIONS

INSTRUCTION TO THE APPLICANT.

For increasing the number of seats in the MBBS/Post-graduate DIPLOMA/HIGHER SPECIALITIES/DEGREE level, the medical college/institution should conform to the regulations prescribed by the Medical Council of India. They should apply to the Central Government for this permission alongwith the State Government permission, University's affiliation and in conformity with the Medical Council of India regulations, documentary evidence to show the additional financial allocation, provision for additional equipment and other infrastructural facilities and provision for recruitment of additional staff as per Medical Council of India norms.

SUBMISSION OF APPLICATION/SCHEME/ APPLICATION FEE

The application (Appendix III) shall be submitted by registered post to the Secretary (Health), Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India, Nirman Bhavan, Maulana Azad Road, New Delhi-110011 alongwith the information and non-refundable application fee of Rs. one lakh in the form of demand draft in favour of "Medical Council of India" and payable at Delhi. This fee is for registration, fee for technical scrutiny and contingent expenditure and for carrying out of physical inspection for the purpose.

QUALIFYING CRITERIA

The medical college/institution shall qualify to apply for increasing the number of admission in MBBS/DIPLOMA/DEGREE/HIGHER SPECIALITIES courses in the existing medical colleges/institutions only if the following conditions are fulfilled :—

1. The Medical College/Institution is recognised by the Medical Council of India for running these courses.
2. The permission letter regarding desirability and feasibility of having an increase of seats at the existing medical college/institution for these courses has been obtained by the applicant from the respective State Government or the Union Territory administration.
3. Letter of University's permission for increasing the seats at the existing medical colleges/institution has been obtained by the applicant from the university to which it is affiliated.
4. That the applicant has a feasible and time bound programme to provide additional equipment and infrastructural facilities like the number of staff, space, funds, equipment and teaching beds etc. for the increased numbers as per Medical Council of India recommendations.
5. That the number of teaching beds will have to be in the ratio of 7 beds per student admitted, for more than 100 admissions. The number of units in the clinical departments have to be increased and additional senior staff provided. The number of teaching staff will have to be in the ratio 1 : 10 students for MBBS, 1 : 1 for PG degree, 1 : 2 for PG diploma, 1 : 1 for higher specialities.
6. That the maximum number of admissions is MBBS course should not exceed 150 annually.
7. That the applicant provides a bank guarantee in favour of Medical Council of India for providing additional infrastructural facilities as follows :—

MBBS	—25 seats— 50 lakhs
	50 seats—100 lakhs
P. G. Diploma	—per seat— 3 lakhs
P. G. Degree	—per seat— 5 lakhs
Higher specialities	—per seat— 10 lakhs

Exception : The above condition shall not apply to applicant who are from State Governments provided that they shall give an undertaking to provide funds in their plan budget regularly till facilities are full provided as per the time bound programme indicated by them.

REGISTRATION OF APPLICATION

Incomplete applications will be returned to the applicant by the Ministry of Health & Family Welfare.

Applications found complete in all respect will be registered by the Ministry of Health and F. W. and forwarded to Medical Council of India within 30 days for evaluation and recommendations. Acceptance of the application will only signify the acceptance of application for evaluation. It will, however, under no circumstances mean approval of the application for grant of permission.

PRESCRIBED PERIOD

In computing the time limit specified above, the time taken by the authorities and institutions submitting the scheme in furnishing any information/clarification or additional documents called for by the Council or by the Central Government shall be excluded.

EVALUATION BY MEDICAL COUNCIL OF INDIA

The Medical Council of India will evaluate the application to accept the desirability and prima-facie feasibility for increasing the admission strength at the existing medical colleges/institution and the capability of the applicant provide the necessary resources, and infrastructure for the scheme.

While evaluating the application, the Council may seek further information/clarification or additional documents from the applicant as considered necessary and will carry out a physical inspection to verify the information.

GRANT OF PERMISSION

The Central Government on the recommendations of the Medical Council of India may issue a letter of intent to increase the admission of the above said courses with such conditions or modifications in the original proposal as may be considered necessary. The formal permission will be granted after the above conditions and modifications are accepted and the performance bank guarantees for the required sums are furnished by the applicant. The Central Government on the recommendations of the Medical Council of India may issue the formal permission.

APPENDIX III

FORMAT OF APPLICATION FOR PERMISSION OF THE CENTRAL GOVERNMENT TO INCREASE THE ADMISSION CAPACITY IN M.B.B.S./HIGHER COURSES OF STUDY (INCLUDING DIPLOMA/DEGREE IN SPECIALITIES) IN THE EXISTING MEDICAL COLLEGES INSTITUTIONS

PARTICULARS OF THE APPLICANT :

NAME OF THE APPLICANT
(IN BLOCK LETTERS)

ADDRESS
(IN BLOCK LETTERS)

REGISTERED OFFICE
(NO., STREET, CITY, PIN CODE
TELEPHONE, TELEX, TELEFAX)

CONSTITUTION
(STATE GOVERNMENT/UNION
TERRITORY/ADMINISTRATION)

UNIVERSITY/AUTONOMOUS BODY,
SOCIETY, TRUST)

REGISTRATION INCORPORATION
(NUMBER & DATE)

NAME OF AFFILIATING UNIVERSITY

NO. OF SEATS APPROVED AND
DATE OF RECOGNITION BY MCI

LIST OF ENCLOSURES :

1. Certified copy of the Essentiality Certificate issued by the respective State Government/Union Territory Administration on the prescribed proforma.
2. Certified copy of the Consent of Affiliation issued by a recognised University.
3. Authorization letter addressed to the Bankers of the Applicant authorizing the Central Government/Medical Council of India to make independent enquiries regarding the financial track record of the applicant.
4. Certified copy of the letter from M.C.I. approving recognition of the college/institution.

Secy., Medical Council of India.

